

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या 3-ई0एम0/2012-का-4-2021
लखनऊ, दिनांक 25 मई, 2021

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रख्यापित अधिसूचना संख्या 3-ई0एम0/2012-का-4-2021, दिनांक 25 मई, 2021 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

राजेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 25 मई, 2021
ज्येष्ठ 4, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या 3-ई०एम०/2012-का-4-2021
लखनऊ, 25 मई, 2021

अधिसूचना

प०आ०-122

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है; अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में निषिद्ध करती हैं:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा;
- (2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना, गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3-E.M./2012-Ka-4-2021, dated May 25, 2021:

No. 3-E.M./2012-Ka-4-2021

Dated Lucknow, May 25, 2021

WHEREAS the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the *Gazette*, strikes in :-

(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;

(2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority.

2. Under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the *Gazette* and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State.

By order,

MUKUL SINGHAL,

Apar Mukhya Sachiv.